न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 171/2024

अनवान : –

1. रामेश्वर पुत्र सुलतान जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन रामगढ़ तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन वार्ड सं. 04 रामगढ़ तहसील नोहर।
2. नानुराम पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन वार्ड सं. 04 रामगढ़ तहसील नोहर।
3. पूर्णाराम पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन वार्ड सं. 04 रामगढ़ तहसील नोहर।
4. महावीर पुत्र जेठाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन वार्ड सं. 04 रामगढ़ तहसील नोहर।
5. रामचन्द्र पुत्र देपाल उर्फ दलीप जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन वार्ड सं. 05 रामगढ़ तहसील नोहर
6. सुमित्रा पुत्री देपाल उर्फ दलीप जाति कुम्हार (प्रजापति) साकिन वार्ड सं. 05 रामगढ़ तहसील नोहर
7. विमला पुत्री जेठाराम पत्नि रामप्रताप जाति कठवालिया साकिन रामपुरिया तहसील टिब्बी
8. सन्तो पुत्री जेठाराम पत्नि बृजलाल जाति कठवालिया साकिन रामपुरिया तहसील टिब्बी
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
10. राजस्था राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़
11. पंजीयक कार्यालय उप तहसील रामगढ तहसील नोहर
12. पंजीयक कार्यालय भादरा तहसील भादरा।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**
श्री कुलदीप सिंह खुडिया अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय **दिनांकः** 15/10/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 10 डीपीएन, तहसील नोहर के खाता सं. 127/120 की कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 9 एन.टी.आर. तहसील भादरा के खाता सं. 74/68 की कुल तादादी 12.7130 हैक्टर भूमि ... जेठाराम व सायल के पिता सुलतान के देहान्त के बाद सायल व गैरसायल ... दर्ज हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:24 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त कृषि भूमि विरासतन दर्ज होने पर गैरसायलान स. 7 ... रोही मौजा गोगाना तहसील नोहर के खाता सं. 127/120 की कुल 2.5300 हैक्टर भूमि में अपने नाम दर्ज

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सम्पूर्ण 1/8 हिस्सा एवं रोही मौजा चक 9 एनटीआर तहसील भादरा के खाता सं. 74/68 की कुल तादादी 12.7130 हैक्टर भूमि में गैरसायलान सं. 7 व 8 ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण 1/16 हिस्सा अपने भाई ओमप्रकाश, नानुराम, पूर्णाराम, महावीर पुत्रगण जेठाराम एवं सगे भतिजे रामचन्द्र पुत्र देपाल उर्फ देवपाल के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा वादग्रस्त कृषि भूमि मे गैरसायलान सं. 7 व 8 ने सायल को वंचित कर दिया है जबकि मैतृक कृषि भूमि में हक त्याग में किसी भी वारिसान को वंचित नही किया जा सकता है तथा हक त्याग सभी के पक्ष में त्याग किया जाता है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 26 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि में से 191/2530 हिस्सा भूमि व रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 27 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में से 83/260 हिस्सा भूमि अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। गैरसायलान सं. 7 व 8 ने अपना जो भी हक व हिस्सा था वह गैरसायलान सं. 1 ता 5 के पक्ष में जरिये दस्तबरदारी दिनांक 19/02/2024 एव दिनांक 26/02/2024 को सायल छोडते हुऐ हक त्याग कर दिया दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नही है दस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नही होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई काश्तकारी हक (Tenancy Right acuire) हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबरदारी होने वाला सहकाश्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी काश्तकार (Cremaining all the Coparcener Coshere Tenants) ब.हि.ब. के मुश्तरका खातेदार हो जाते है दस्तबरदारी दिनांक 19/02/2024 एव दिनांक 26/02/2024 द्वारा गैरसायलान सं. 7 व 8 का हक व हिस्सा शेष नही रहा है एवं दस्तबरदारी दिनांक 19/02/2024 एव दिनांक 26/02/2024 से गैरसायलान सं. 1ता 5 के पक्ष में उनका हक व हिस्सा समायोजित हो गया है अकेले गैरसायलान सं. 1 ता 5 को हक व हिस्सा हासिल नही हुआ है तथा उक्त दस्तबरदारी दिनांक 19/02/2024 एव दिनांक 26/02/2024 को शुन्य एवं प्रभावहीन है इसलिए सायल दस्तबरदारी दिनांक 19/02/2024 एव दिनांक 26/02/2024 को शुन्य घोषित करवाकर अपने हक व हिस्सा की घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। सायल दस्तबरदारी दिनांक 19/02/2024 एव दिनांक 26/02/2024 शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाकर विवादित भूमि रोही मौजा चक 10 डीपीएन. तहसील नोहर के खाता सं. 127/120 की कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि में सयुक्त से सायल एवं दावा में दावा तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 11 व 12 ब.हि.ब. 1/12 हिस्सा एवं गैरसायलान सं. 1 ता 4 प्रत्येक का 1/12 हिस्सा, एवं गैरसायलान सं. 5 व 6 ब.हि.व. 1/12 हिस्स [illegible] काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 9 एन.टी.आर. तहसील भादरा के खाता सं. 74/68 की कुल [illegible] 12.7130 हैक्टर भूमि में सयुक्त से सायल एवं दावा में दावा तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 11 व 12 ब.हि.ब. 1/24 हिस्सा एवं गैरसायलान सं. 1 ता 4 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा, एवं गैरसायलान सं. 5 व 6 ब.हि.य. 1/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:24 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्स के खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुसार सायल न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवापाने का अधिकारी है।वादग्रस्त कृषि भूमि गैरसायलान सं. 1 ता 6 के द्वारा दस्तबरदारी करवाकर वाद भूमि अपने अकेलो के नाम दर्ज करवा ली तथा वादग्रस्त भूमि गैरसायलान सं. 1 ता 6 के नाम दर्ज होने के कारण वादग्रस्त भूमि को रहन/बैय करने की ऐलानिया धमकी देते है यदि ऐसा करने में गैरसायलान सं. 1 ता 6 कामयाब हो जाते है तो वादी का ना पुरा होने वाला नुक्शान होगा इसलिए सायल व गैरसायलान सं. 1 ता 6 के खिलाफ रहन, बैय रिकार्डड एवं मौके की यथास्थिति जारी करवापाने का अधिकारी है।

लिहाजा यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी रोही मौजा चक 10 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 127/120 की कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 9 एन.टी.आर. तहसील भादरा के खाता सं. 74/68 की कुल तादादी 12.7130 हैक्टर भूमि को गैरासायलान सं. 1 ता 6 को रहन/बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 10 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 127/120 की कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 9 एन.टी.आर. तहसील भादरा के खाता सं. 74/68 की कुल तादादी 12.7130 हैक्टर भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ता 8 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायल के पिता ने गैरसायल स0 7 व 8 को कभी नही माना है व न ही कभी भाव व छुछक मे शामिल हुआ है इसलिए गैरसायलान 7 व 8 ने अपना हक हिस्सा गैरसायलान स0 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया है। गैरसायलान रिकार्डड खातेदार है। सायल के द्वारा दस्तबरदारी को निरस्त करवाने हेतु यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि दस्तावेज को निरस्त सिविल न्यायालय में ही करवाया जा सकता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को [illegible] ते है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:24 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम [illegible] कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

प्रार्थी का कथन है कि सायल के पिता के फोत होने के बाद अप्रार्थी स0 7 व 8 ने विवादित भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह जरिये दस्तबरदारी दिनांक 19.02.2024 व दिनांक 26.02.2024 को अप्रार्थी स0 1 ता 6 के पक्ष में परित्याग कर चुकी है जिसका इसलिए विवादित भूमि में उनका कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। दस्तबरदारी कोई हस्तान्तरण दस्तावेज नहीं है तस्तबरदारी से कोई हक तब्दील नहीं होते है ना ही किसी विशेष हकदार को कोई हक हासिल होते है दस्तबरदारी से दस्तबदार होने वाले सह काश्तकार का उस खाता व खाते की भूमि में हक समाप्त हो जाता है तथा उस खाता के बकाया सभी सह खातेदार ब० हि० ब० के मुश्तरका हकदार व काश्तकार हो जाते है। उक्त दस्तबरदारी से गैरसायल संख्या 1 ता 6 के पक्ष में उसका हिस्सा समायोजित हो गया है लेकिन गैरसायल संख्या 1 को उक्त दस्तबरदारी से कोई हक हकूक हासिल नहीं हुए है क्योंकि सायल को उसके हिस्सा से वंचित किया गया है अप्रार्थी का कथन है कि दस्बरदारी एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसको सुनने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है एवं कोई भी खातेदार अपना हक व हिस्सा किसी के भी पक्ष में तर्क करने हेतु स्वतंत्र है पत्रावली में प्रस्ततु दस्तावेजों के मुताबिक अप्रार्थी स0 7 व 8 द्वारा द्वारा प्रार्थी को छोड़कर गैरसायल स0 1 ता 6 के पक्ष में दिनांक 19.02.2024 व 26.02.2024 को दस्तबरदारी की गई है। अप्रार्थीगण संख्या 7 व 8 द्वारा की गई दस्तबरदारी सही या गलत का निर्धारण मूल वा दमे तय होना है जो की न्यायालय हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत विचाराधीन है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलन</u>– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण विवादित अराजी का काश्तकार है अप्रार्थीगण 1 ता 6 के नाम भूमि अप्रार्थी स0 7 व 8 से जरिये दस्तबरदारी प्राप्त हुई है प्रार्थी का अप्रार्थीगण के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को बैय की जाती है तो प्रार्थी को असुविधा होगी और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:24 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थी को।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 10 डीपीएन तहसील नोहर के खाता सं. 127/120 की कुल तादादी 2.5300 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 9 एन.टी.आर. तहसील भादरा के खाता सं. 74/68 की कुल तादादी 12.7130 हैक्टर भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 15/10/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.11.03 17:46:24 IST
Reason: SelfAttested